

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 130/2024

निर्णय दिनांक :- 30/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. सुनिता बाई पत्नि हरिशंकर जाति माली निवासी गंभीरा तहसील नैनवा जिला टोंक राज0

-प्राथीगण-

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री अजीत सिंह

तहसीलदार नगरफोर्ट

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 681 खसरा नम्बर 2749/679 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.33 है0 व खसरा नम्बर 680 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजीयात प्रार्थिया की खरीदशुदा कृषि भूमि है जिसे प्रार्थिया खरीदने के समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज-काशत है। वर्तमान में आस-पास के खेत वालो ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर मेड डोल को नष्ट कर दी है। प्रार्थी के खेत के पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे-धीरे आने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी की आराजी के पडोसी काशतकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतो में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी अपने खेत पर जाते है तो वहां पर सीमा चिन्ह नही मिलते है। वर्तमान में खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय में जब फसल काशत होगी तो कोई विवाद पैदा नही होगा और प्रार्थीगण मुकदमेबाजी से बच



जायेंगे। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार नगरफोर्ट को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारान खसरा नम्बर 2748/679 रकबा 0.24 है से सीमा विवाद होना बताया है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बंध में विरासत नामान्तरण अवशेष नहीं है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में अंकित खाता संख्या 681 खसरा नम्बर 2749/679 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.33 है0 व खसरा नम्बर 680 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम नगर जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी